



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 16 November, 2022

PGCIL/R/T/22/00078 & 00079

Shri Kareem Ansari,
Kareem Ansari, Yugantar (ZURVXXE2), 3-4-14/6, Barkatpura, Hydetabad-500027

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 19 October, 2022 तथा 20 October, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Kareem Ansari, Barkat Pura, Hyderabad (Telengana)
(RTI Regh. No. PGCL/R/T/22/00078 & 00079)

Information sought:	Reply:
<p>Pursuant to the Right of Information Act (2005), I hereby request the following information:</p> <p>1.All PSUs under your Ministry, please furnish list of employees on unauthorized absence in your PSU since March 2020.</p>	<p>Information regarding 'Leaves of Employees' is a Personal Information in nature, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or can cause an unwarranted invasion of privacy of the individual.</p> <p>Accordingly, the same is exempted from disclosure under Section 8(1(j) of the RTI Act, 2005.</p>

हरीराम